मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, 1-रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)



MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, 1-RESIDENCY AREA, INDORE (M.P.)

ई- प्रवेश पत्र / e-Admit Card

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 / राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 STATE SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION- 2022/STATE FOREST SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION-2022



आवेदित परीक्षा का नाम / APPLIED EXAM NAME	Both(State Service Examination 2022 and State Forest Service Examination 2022)	
आवेदन क्रमांक / APPLICATION NUMBER	PFS220902403212	
अनुक्रमांक / ROLL NUMBER	336249	
पात्रता की श्रेणी / ELIGIBILITY CATEGORY	ОВС	
अभ्यर्थी का पूरा नाम / CANDIDATE'S FULL NAME	LALIT	
अभ्यर्थी के पिता का पूरा नाम / CANDIDATE'S FATHER'S FULL NAME	KAMAL SINGH	21/12/2022
जन्म तिथि/ DATE OF BIRTH	25/05/1997	Laura
लिंग / GENDER	MALE	
दिव्यांगजन/ PHYSICALLY HANDICAPPED	NO	
भूतपूर्व सैनिक / EX-SERVICEMAN	NO	
अभ्यर्थी का पता पिन कोड सहित/ CANDIDATE'S ADDRESS WITH PIN	H.NO 199 AT-POST -DOUNDIWADA DIST-SEONI MADHYA PRADESH	(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/Candidate's
CODE	SEONI MADHYA PRADESH 480771	(अभ्यया क हस्तावर/Candidate s Signature)

परीक्षा समय-सारणी / Examination Time-Table							
परीक्षा की तिथि व समय/ Date & Time of Examination	उपस्थिति समय/ Reporting Time	विषय/ Subject	विषय कोड/ Subject Code	परीक्षा केंद्र कोड / Exam Centre Code	परीक्षा केंद्र का नाम व पता / Exam Centre's Name & Address		
21/05/2023 , 10:00 AM To 12:00 NOON	09:30 AM	General Studies	01	40/3	Mahatma Gandhi Govt. High School, Barapatthar, Bahubali Chowk, Seoni (M.P.)		
21/05/2023 , 02:15 PM To 04:15 PM	01:45 PM	General Aptitude Test	02				

-::- अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश -::-

- 1. आवेदक अपने साथ प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त निम्न में से कोई एक मान्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र अवश्य लाएं। बिना मान्य पहचान-पत्र के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (मान्य पहचान पत्र : i- मतदाता परिचय-पत्र, ii- आधार कार्ड (आधार कार्ड की फोटो-कॉपी भी मान्य होगी।), iii- पेन कार्ड, iv- केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय/अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, v- पासपोर्ट, vi- फोटोयुक्त बैंक पासबुक, vii- शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् अभ्यर्थियों के मामलों में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र, viii- ड्राइविंग लाइसेंस, ix- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोयुक्त परिचय-पत्र)
- 2. परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष में उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे एवं निर्धारित स्थान पर अपने बाएँ हाथ के अँगूठे का अथवा बाएँ हाथ का अँगूठा न होने पर दाएँ हाथ के अँगूठे का निशान अवश्य लगाएंगे।

<u>कृपया महत्वपूर्ण निर्देश अगले पृष्ठ भाग पर देखें।</u>

पानीशा नियंतकः

<u>-:: महत्वपूर्ण निर्देश ::-</u>

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी भी प्रकार के संचार उपकरण जैसे:- मोबाइल-फोन, पेज़र तथा केलक्यूलेटर (किसी भी प्रकार का) आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा हॉल/ कक्ष में अभ्यर्थी के पास पेन्सिल, रबर, व्हाइटनर, मोबाइल/किसी भी प्रकार का संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जाँच की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है:-

वर्जित वस्तुएँ:- परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा-कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा-कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे :- बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटेलिक/चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वॉलेट, टोपी आदि वर्जित है।

- 1. अभ्यर्थी परीक्षा के निर्धारित समय के एक घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
- 2. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश-पत्र को अनिवार्य रूप से साथ में लाएँ।
- 3. कृपया ध्यान रखें, यह परीक्षा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा "रोजगार एवं निर्माण" में प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के विज्ञापन क्रमांक 11/2022, दिनांक 30.12.2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा - 2022 के विज्ञापन क्रमांक 12/2022, दिनांक 30.12.2023 तथा इससे संबंधित जारी विज्ञप्तियों/शुद्धिपत्रों के अंतर्गत संपादित की जाएगी।
- 4. अपने प्रवेश-पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश-पत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है।
- 5. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
- 6. परीक्षा-कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें। प्रवेश-पत्र पर अंकित अनुक्रमांक (रोल नंबर) को ही ओ.एम.आर. शीट के निर्धारित स्थान पर लिखें तथा संबंधित गोले सही भरें।
- 7. प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से ओ.एम.आर. शीट आधारित होगी।
- 8. ओ.एम.आर. शीट में प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को काले पेन से ध्यान से भरें, सेट का गोला न भरने पर या सही गोला न भरने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य काले डॉट पेन से ही करें। ओ.एम.आर. शीट में सही उत्तर के गोले को भी काले डॉट पेन से ही भरें।
- 9. ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। ओ.एम.आर. शीट पर पेन्सिल, रबर एवं व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। साथ ही अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
- 10. अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक के हाथ में ही सौंपे एवं उनकी अनुमति पश्चात् ही कक्ष छोड़ें।
- 11. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा-हॉल/कक्ष से निष्कासित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
- 12. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र की जाँच/मिलान स्वयं के ऑनलाइन आवेदन-पत्र से कर लें, उसमें कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को तुरन्त सूचित करें।
- 13. जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के अनुसार, ऑनलाइन प्रवेश-पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं या अनुपलब्ध हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, ऐसे अभ्यर्थी निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें :-
 - (अ) अपने ऑनलाइन प्रवेश-पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो आंवटित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष से प्रमाणित कराएं।
 - (ब) अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएं, उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लिकेशन नम्बर एवं रोल नम्बर अंकित करें ।
 - (स) अपने साथ अपने आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति (जो फॉर्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी) ले जाएं तथा मांगे जाने पर वीक्षक को प्रस्तुत करें।
- 14. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति, परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रमाण के साथ 07 दिवस की अवधि में सशुल्क आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रश्न-पत्र संबंधित अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, न ही पत्राचार किया जाएगा।
- 15. परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे, अत: परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <u>www.mppsc.mp.gov.in</u> को ही देखें।
- 16. आयोग से परीक्षा संबंधित पत्र व्यवहार/सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी के लिए प्रवेश-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 17. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है।
- 18. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में सहलेखक की पात्रता है, वे सहलेखक के सभी अभिलेखों के साथ आवंटित परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष से संपर्क कर अनिवार्यत: अनुमति प्राप्त करें। तदनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु सुविधाजनक व्यवस्था की जा सकेगी।
- 19. सभी अभ्यर्थी कोविड-19 महामारी के संबंध में शासन द्वारा यथासमय जारी कोविड निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करेंगे। इस हेतु :-
 - अ. अभ्यर्थी को मानक स्तर का मास्क लगाकर आना है, तभी केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा। डिज़ायनर मास्क, रूमाल या गमछा आदि लगाकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। बिना मास्क के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - ब. सभी अभ्यर्थी अपने पास स्वयं का पॉकेट सेनेटाइजर 100 ml बॉटल एवं पानी की एक लीटर की पारदर्शी बॉटल साथ में रख सकते हैं।
 - स. सभी अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी बनाए रखेंगे।
 - द. सभी अभ्यर्थी अपने मास्क को परीक्षा के दौरान मुँह एवं नाक पर लगाकर रखेंगे, बात करते समय मास्क न हटाएँ ।
 - इ. बुखार होने पर अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष को सूचित करें, जिससे उसकी पृथक् बैठक व्यवस्था की जा सके।
 - फ. कोविड संक्रमित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है, वे समस्त अभ्यर्थी अपने जिले के परीक्षा प्रभारी/संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष से अपनी RTPCR रिपोर्ट के साथ संपर्क करें। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र के विशेष कक्ष में परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
- नोट:- मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कर यात्रा व्यय देयक केन्द्राध्यक्ष को (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा की मूल टिकट, जिसमें दिनांक, यात्रा का स्थान व किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ते का भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से संबंधित केन्द्र द्वारा किया जाएगा। यात्रा व्यय का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक)